न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :— बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 6/2023
किस्म :— अपील
दायर दिनांक : 03.01.2023
निर्णय दिनांकः 26.02.2026

अनवान

1— श्रीमति कमली देवी पिता शंकरलाल जी पत्नि गहरीलाल जाति बैरवा (चमार) निवासी मदारा हाल निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सकरावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. प्रकाश उर्फ कसना पिता शंकरलाल जाति बैरवा निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
3. गोवर्धनलाल पिता शंकरलाल जाति बैरवा निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4. देउ पत्नि सोहनलाल जाति बैरवा निवासी मदारा हाल निवासी कानाखेडा (कुरज) तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

रेस्पोडेटगण

अपील विरूद्व ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा निर्णित नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 10.12.1976

वादी अधिवक्ता— नवलसिंह राणावत
प्रतिवादी अधिवक्ता— जगदीश चन्द्र कुमावत

निर्णय

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मदारा पटवार हल्का सकरावास की वर्तमान जमाबदी खाता संख्या नया 151 में आराजी संख्या 740 रकबा 0.3723 हेक्टेयर किस्म बारानी आराजी संख्या 742 रकबा 0.1376 हेक्टेयर किस्म बारानी आराजी संख्या 742 रकबा 0.1376 हेक्टेयर किस्म बंझड, आराजी संख्या 743 रकबा 0.2023 हेक्टेयर किस्म बारानी, आराजी संख्या 744 रकबा 0.3399 किस्म चाही व जाव भूमियां स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील क साथ प्रस्तुत है। यह कि अपील की कलम संख्या 01 में अंकित भूमियां पूर्व में अपीलाण्ट के पिता शंकरलाल पिता कालु चमार के नाम पर मौजुद थी। जिसके संबंध में संम्वत् 2032 से सम्वत् 2035 की तत्कालिन जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है तथा उसके अनुसार उक्त भूमियां शंकरलाल पिता कालु चमार की मृत्यु के उपरान्त विरासत के आधार पर निर्णित नामान्तरकरण संख्या 150 के जरिये उक्त भूमियां अपीलाण्ट के पिता का विरासत अकेले रेस्पोडेण्ट संख्या 02 प्रकाश उर्फ किसना पुत्र शंकरलाल, रेस्पोडेण्ट संख्या 03 गोवर्धनलाल पिता शंकरलाल एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 04 श्रीमति देउ के पति श्री सोहनलाल पिता शंकरलाल के नाम पर ही दर्ज कर ली गई। जबकि विरासत के नामान्तरकरण में मृतक के सभी पुत्र पुत्रियों के नाम समान हिस्से में विरासत दर्ज किया जाना विधि अनुसार अति आवश्यक है जो दर्ज नही होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा अपनी मन मर्जी से अवैधानिक तरिके अपनाकर अपीलाण्ट जो मृतक शंकरलाल की पुत्री है का जीवित व मोजुद होने का तथ्य छिपाकर उक्त सारी भूमिया ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर रेस्पोडेण्ट संख्या 2, व 3, व 4, के पति सोहनलाल के नाम पर विरासत से दर्ज करवाई जबकि उक्त भूमियों में अपीलाण्ट का भी रेस्पोडेण्ट संख्या 02, व 03, व 04, के बराबर समान हिस्सा पिता की सम्पत्तियों में होता है इसके बावजुद भी अपीलाण्ट का जीवित एवं मौजुद होने का तथ्य छिपाकर मृतक शंकरलाल पिता कालु चमार का

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादग्रस्त समस्त भूमियों को विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 02, व 03, व 04, के पति सोहनलाल के नाम पर निर्णित कर ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 10.12.1976 निरस्त व अपास्त होने योग्य होकर मृतक शंकरलाल पिता कालु चमार की सम्पतियों में विरासत के आधार पर अपीलाण्ट का रेस्पोडेट संख्या 02, व 03, व 04, के समान बराबर हिस्सा विरासत में दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है तथा उक्त अनुसार नामान्तरकरण संख्या 150 निरस्त होने योग्य है जिससे अपीलाण्ट की ओर से उक्त अपील विरूद्व रेस्पोडेण्ट प्रस्तुत की जा रही है। यह कि नामान्तरकरण ग्राम पंचायत सकरवास द्वारा निर्णित किये जाने से उनके विरूद्व अपील की सुनवाई की अधिकारिता माननीय आप न्यायालय को प्राप्त है जिससे उक्त अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत है। यह कि उक्त नामान्तरकरण दिनांक 10.12.1976 को निर्णित हुआ जिसका गलत इन्द्राज की जानकारी अब अपीलाण्ट द्वारा नकले प्राप्त की तब जानकारी मिली, इससे पूर्व उक्त गलत इन्द्राज की अपीलाण्ट को कोई जानकारी नही थी एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार पुश्तैनी सम्पत्तियों में पुत्र पुत्री का समान हक अधिकार होता है। जिससे उक्त नामान्तरण कानुनन अवैध हो शुन्य है जिसकी कोई मयाद नही होती है। तथा नामान्तरकरण की प्रति व नकले दिनांक 28.12.2022 को प्राप्त होते ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसमें जो भी देरी हुई है उसे क्षम्य फरमाया जाने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत है। यह कि गलत इन्द्राज की जानकारी होते ही अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट को सही इन्द्राज किये जाने बाबत् आज से 10 दिन पुर्व कहा गया तो उनके द्वारा इन्कार कर देने से अपील प्रस्तुत करने का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 10.12.1976 को निरस्त व अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलाण्ट का वादग्रस्त मृतक शंकरलाल पिता कालु चमार की भूमियों में विधिक वारिसान के रूप में रेस्पोडेण्ट संख्या 02, व 03, व 04, के समान अपीलाण्ट का पृथक हिस्सा दर्ज फरमाया जावें एवं उक्त अनुसार अपील स्वीकार फरमाई जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेटगण संख्या 01 अनुपस्थित। रेस्पोडेटगण संख्या 02, 03 व 04 की और से कोई जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब का अवसर वंद किया गया है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 10.12.1976 की अपील वर्ष 2022 में प्रस्तुत की गयी जो करीब 46 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह नही कहा जा सकता है कि 46 वर्ष मे वादग्रस्त भुमि के सम्बंध में अपीलांट को कोई जानकारी नही हुई हो। जिससे प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मयाद अधिनियम का निरस्त योग्य है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट मयाद बहार होने से निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा